न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–331 सन् 2013

राम रतन प्रसाद सिंह.....वादी

बनाम

कृष्णा प्रसाद राय वो अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 24.01.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.04.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद में वादी का साक्ष्य सामाप्त हो गया है। तथा प्रतिवादी का साक्ष्य चल रहा है। इस वाद मं प्रतिवादी की ओर से साक्षियों का साक्ष्य हुआ लेकिन प्रतिवादी का साक्ष्य नहीं हुआ। वादी राम रतन प्रसाद सिंह को इस वाद की विवादित भूमि लिखने वाली मनमोकिरा फुला कुंअर का लिखा बैनामा दस्तावेज जो दिगर मोकिरआला श्रीमती देवकली देवी जौजे– भुनेश्वर राय को लिखा गया है। बैनामा दस्तावेज दिनांक 17.01.2007 को लिखा गया था उसकी जानकारी जब वादी को हुई तो वादी ने उसकी सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त की जो इस वाद की विषय वस्तु के निर्णय हेतु सहायक दस्तावेज है। जिसे साक्ष्य में ग्राह्य करना आवश्यक है। वादी के साक्ष्य के कम में इस दस्तावेज की जानकारी नहीं हो सकी थी। इसलिए वादी के जानकारी होने पर उसकी सच्ची प्रतिलिपि निबंधित कार्यालय से प्राप्त कर इस वाद में दाखिल कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि बैनामा दिनांक 17.01.2007 नविस्ते मु0 फुला कुंअर बनाम देवकली देवी को नियमानुकूल साक्ष्य में ग्राह्य करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से दिनांक 06.09.2021 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। प्रतिवादी का कथन है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रस्तुत वाद में वादी का साक्ष्य समाप्त हो गया है और प्रतिवादी का साक्ष्य चल रहा है। वादी की ओर से चल रहे साक्ष्य के दरम्यान ही वादी ने बैनामा दिनांक 17.01.2007 की सच्ची प्रतिलिपि ग्राह्य करने हेतु निवेदन दाखिल किया है जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। बैनामा दिनांक 17.01.2007 फुला कुंअर बनाम देवकली देवी का जानकारी वादो ने अपने अर्जीदावी में नहीं किया है वो न ही वादी ने अपने साक्ष्य के कम में इस बैनामा का जिक किया है। ऐसी परिस्थिति में बैनामा दिनांक 17.01.2007 सुसंगत दस्तावेज नहीं है। जो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रतिवादी को इस बैनामा के आलोक में खंडन करने का मौका भी नहीं मिला है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.04.2021 को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद में वादी को ओर से साक्ष्य दिनांक 09.05. 2018 को बंद किया जा चुका है। प्रतिवादी की ओर से 6 साक्षियों का साक्ष्य कराया जा चुका है। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुतिकरण के दौरान वादी की ओर से बैनामा की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल कर उसे साक्ष्य में ग्राह्य करने हेतु यह आवेदन दाखिल किया गया है। बैनामा के अवलोकन से विदित है कि बैनामा खाता सं0 262 सर्वे नं0 107 एवं खाता सं0 253 सर्वे नं0 88 से संबंधित है। जो मु0 फुला कुंअर के द्वारा श्रीमति देवकली देवी के पक्ष में दिनांक 17.01.2007 को निष्पादित किया गया है। वादी ने अपने आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि जिस बैनामा को वे साक्ष्य में ग्राह्य करने हेतु आवेदन दाखिल किया है उसका प्रस्तुत वाद में क्या सुसंगतता है। जिस

न्यायालय द्वारा ग्राह्य किया जाए। ऐसी परिस्थिति में वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए नियमानुकूल आवेदन दाखिल करें।

वाद दिनांक 14.03.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।